न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर

बईजलास श्री कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, बीकानेर

नम्बर मुकदमा 05/09 रेफरेंस प्रार्थना पत्र
मुमताज अली पुत्र जुम्मेदार खां मुसलमान निवासी विवेक बाल निकेतन के पास, नत्थुसर बास के पास, बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

1. बाबुड़ी बेवा स्व. किस्तुराराम
2. किसनलाल पिसरान स्व. किस्तुराराम
3. जेठमल पिसरान स्व. किस्तुराराम
4. जेठी बेवा स्व. हीरालाल
5. रामेश्वर पिसरान हीरालाल पिस. स्व. किस्तुराराम
6. मुकेश पिसरान हीरालाल पिस. स्व. किस्तुराराम
7. श्रवण पिसरान हीरालाल पिसरान स्व. किस्तुराराम जाति माली निवासी श्रीरामसर वार्ड नं. 3 तहसील व जिला बीकानेर
8. झंवरी देवी पुत्री किस्तुराराम पत्नि बाबूलाल माली कच्छावा निवासी रामदेव मंदिर पूराने कुंवे के पास, बीकानेर
9. जमना देवी पुत्री किस्तुराराम पत्नि शिवलाल माली कच्छावा निवासी रामदेव मंदिर पूराने कुंवे के पास, बीकानेर
10. जेठी देवी किस्तुराराम पत्नि मालचंद माली सोलंकी निवासी चौपड़ा कटला, रानी बाजार, बीकानेर
11. रूपादेवी किस्तुराराम पत्नि गोपालराम माली कच्छावा निवासी नत्थुसर गेट के बाहर, बीकानेर
12. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर

–अप्रार्थीगण

:: **रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर. एक्ट 1956**

उपस्थिति

1– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण तिवाड़ी
2– अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दौलतसिंह हाजिर नहीं।

आदेश दिनांक **11.02.2020**

1. प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बीकानेर द्वारा दिनांक 06.07.2005 को अप्रार्थीगण को ख.न. 49/65/4 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा के खातेदारी अधिकार प्रदान किये। भूमि किस्तुराराम माली को आवंटित नहीं थी। ना ही आवंटन किया जा सकता था। तहसीलदार ने क्षेत्राधिकार विहीन आदेश पारित किये है जो प्रथम दृष्टया ही शून्य एबएनिशियो वॉयड है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेंस किया जावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

2. रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत करने के पश्चात ना तो जवाब प्रस्तुत किया गया और ना ही किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत पेश किया गया तथा ना ही वे निरन्तर कई पेशियो पर उपस्थित आये।

3. तदन्तर समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी अथवा उनकी ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर वकील प्रार्थीगण की मामले के गुणावगुण पर ईकतरफा बहस सुनी गयी।

4. वकील अप्रार्थीगण ने दौरानएबहस कथन किया कि खसरा नं. 49/95/4 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा न तो आवंटन नियम 1957 एवं ना ही कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत किस्तुराराम पुत्र सुगनाराम माली को आंवटित था और ना ही हो सकता था। श्री किस्तुराराम किसी प्रकार से टिनेंट नही रहा। पत्रावली में शामिल प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थीगण के रूप में हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी किस्तुराराम के वारिसान के बताये गये है जबकि आईएलआर ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी किस्तुराराम को बताया है। उसका कब्जा भी अंकित किया है जो संदेह उत्पन्न करता है। भू–राजस्व नियमो के अनुसार काश्तकार की मृत्यु होने पर विरासतन नामान्तरण दर्ज किया जाता है परन्तु न तो किसी प्रकार से मृत्यु प्रमाण पत्र एवं ना ही विरासतन इंतकाल दर्ज करने की कार्यवाही की गयी। नियमो को अनदेखा किया गया। संवत् 2021 से 2024 की जमाबंदी तैयार करते समय पटवारी ने गैर खातेदारी के रूप में दर्ज कर दिया। ऐसी प्रविष्टि को कानूनी मान्यता नहीं है और ना ही पटवारी को किसी प्रकार से टिनेंसी क्रियेट करने का अधिकार है। संवत् 2027 में उपनिवेशन विभाग द्वारा सर्वे खसरा विलुप्त कर दिये थे। उक्त ग्राम पुनः राजस्व क्षेत्र में शामिल करने पर प्रविष्टि पुनः आ गयी। दिनांक 22.05.07 की फर्द अहकाम लिखकर सीधे ही 06.07.05 पर खातेदारी अधिकार देने का आदेश पारित कर दिया। टिनेंट न होते हुए भी खातेदारी अधिकार प्रदत्त करना कानूनी प्रावधानो एवं प्रक्रिया का स्पष्टतया उल्लघन है। इस प्रकार से पारित क्षेत्राधिकारविहीन आदेश प्रथम दृष्टया ही शून्य है। प्रथमदृष्टया शून्य एबएनिशियो वॉयड आदेश को किसी भी समय चुन्नौत्ति दी जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर को प्रेषित किया जावे।

5. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में तत्कालीन तहसीलदार बीकानेर द्वारा राज्यादेशों व कानून के विपरीत जाकर अप्रार्थीगण को खसरा नं. 49/95/4 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा रोही ग्राम करमीसर से सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.05 भू–राजस्व अधिनियम एवं राजस्थान टीनेंसी एक्ट के प्रावधानो के विपरित है तथा किसी भी प्रकार से विधि सम्मत एवं न्यायोचित नहीं है। ऐसे गैर कानूनी आदेश की कानून की निगाह में कोई मान्यता नहीं है। पटवारी हल्का को किसी प्रकार से टीनेसी क्रियेट करने का अधिकार नहीं है। राजस्व जमाबंदी में किस्तुराराम का नाम दर्ज है परन्तु उनका भौतिक अस्तित्व नहीं है। मृतक किस्तुराराम का कब्जा अपने आप में संदेह उत्पन्न करता है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रप्रेषित किया जाना हम न्यायौचित पाते है।

जिला कलक्टर, बीकानेर

6. उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रप्रेषित कर निवेदन है कि **तहसीलदार बीकानेर** द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में पारित खातेदारी आदेश **दिनांक 06.07.05** विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किया जावे व प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावें। उपस्थित पक्षकारान को निर्देश दिये जाते है कि वे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष दिनांक 18.03.2020 को उपस्थित होवें । तहसीलदार, बीकानेर को आदेशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक के मार्फत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करे।

7. आदेश आज दिनांक 11.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर,बीकानेर